

अनुदान संख्या 87 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
GRANT No. 87-MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1934,15,00		
पूरक	Supplementary	200,85,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	2135,00,00	2106,49,92	-28,50,08
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	125,00,00	124,65,00	-35,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (2850.08 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 20085.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2850.08 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grants of Rs.20085.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes			
मू.	O.	22831.00		
पू.	S.	83.00	16995.23	16892.82
पु.	R.	-5918.77		-102.41

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	29372.00		
पू.	S.	2.00	27696.28	27311.50
पु.	R.	-1677.72		-384.78
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	7438.00		
पु.	R.	-7438.00
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	131762.00		
पू.	S.	20000.00	164616.04	164613.17
पु.	R.	12854.04		-2.87

(I) 8188.00 लाख रु. का प्रावधान तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7328.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

- (का) मुख्य शीर्ष "2552" -
- (क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" -
- (i) "बाल छात्रावास" - 200.00 लाख रु.;
- (ii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 1400.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.8188.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty heads; of these Rs.7328.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

- (A) Major Head "2552"-
- (a) "Welfare of Scheduled Castes - Education"-
- (i) "Boys Hostels" - Rs.200.00 lakhs;
- (ii) "Post Matric Scholarship" - Rs.1400.00 lakhs;

- (ख) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीम” - 1003.00 लाख रु.;
- (ग) “अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य व्यय - अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 240.00 लाख रु.;
- (घ) “समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण” -
- (i) “विकलांगों के लिए सहायता और उपकरण” - 800.00 लाख रु.;
- (ii) “विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम” - 430.00 लाख रु.;
- (iii) “दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम” - 800.00 लाख रु.;
- (ङ) “समाज कल्याण - मद्य निषेध - मद्य निषेध और नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए शिक्षा कार्य” - 540.00 लाख रु.;
- (च) “समाज कल्याण - स्वैच्छिक संगठनों को सहायता - वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 200.00 लाख रु.;
- (च) “पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा” -
- (i) “बाल और बालिका छात्रवास” - 250.00 लाख रु.;
- (ii) “मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति” - 925.00 लाख रु.; और
- (iii) “मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति” - 250.00 लाख रु.।
- (b) “Welfare of Scheduled Castes – Special Central Assistance for Scheduled Castes Sub Plan – Scheme under Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan” – Rs.1003.00 lakhs;
- (c) “Welfare of Scheduled Castes – Other Expenditure - Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes” – Rs.240.00 lakhs;
- (d) “Social Welfare – Welfare of Handicapped” –
- (i) “Aids and Appliances for the Handicapped” – Rs.800.00 lakhs;
- (ii) “Scheme for Implementation for Persons with Disability Act, 1995” – Rs. 430.00 lakhs;
- (iii) “Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme” – Rs.800.00 lakhs;
- (e) “Social Welfare – Prohibition – Education work for Prohibition and Drug Abuse Prevention” – Rs.540.00 lakhs;
- (f) “Social Welfare – Assistance to Voluntary Organisations – Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged” – Rs.200.00 lakhs;
- (g) “Welfare of Backward Classes – Education” –
- (i) “Boys and Girls Hostels” – Rs.250.00 lakhs;
- (ii) “Post-Matric Scholarship” – Rs.925.00 lakhs; and
- (iii) “Pre-Matric Scholarship” – Rs.250.00 lakhs.

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part

आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - कोचिंग और सम्बद्ध स्कीमें" - 290.00 लाख रु. राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" के अंतर्गत बचते निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अनुसूचित जातियों का कल्याण" -

(क) शिक्षा" -

(i) "बालिका छात्रावास" - 599.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालयों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" - 965.00 लाख रु. की बचत (8800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा" - 1382.82 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के नया होने की वजह से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य व्यय -

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 260.22 लाख रु. की बचत (3360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त सिफारिश/निरीक्षण रिपोर्टों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की स्वरोजगार स्कीम" - 2500.00 लाख रु. की बचत (5000.00

funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Education - Coaching and Allied Schemes" - Rs.290.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(II) Under Major Head "2225" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Scheduled Castes" -

(a) "Education" -

(i) "Girls Hostels" - saving of Rs.599.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Universities.

(ii) "Rajeev Gandhi National Fellowship for Scheduled Castes" - saving of Rs.965.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8800.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the University Grants Commission.

(iii) "Top Class Educations for Scheduled Castes" - saving of Rs.1382.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals owing to scheme being new one.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Assistance to Voluntary Organisations for Scheduled Castes" - saving of Rs.260.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3360.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient recommendation/inspection reports from the State Governments.

(ii) "Self Employment Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers" - saving of Rs.2500.00 lakhs (against the sanctioned

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" - "अन्य व्यय - विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों को छात्रवृत्ति" - 110.75 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश मंत्रालय से प्रतिपूर्ति के पर्याप्त दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "विकलांगों का कल्याण" -

(क) "राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक रूप से मंद और अस्थिविकलांग संस्थान का विस्तार और सुधार" - 205.57 लाख रु. की बचत (7285.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों द्वारा कुछ कार्यकलापों को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य स्कीमें" - 698.89 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 14271.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विकलांग छात्रों को अवरोध मुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "मद्य निषेध - मद्य निषेध के लिए शिक्षा कार्य - 348.91 लाख रु. की बचत (2960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त सिफारिशों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) "सुधारात्मक सेवाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान" - 205.00 लाख रु. की बचत (615.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वास्तविक तारीखें दर्शाए न जाने की वजह से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals.

(B) "General - Other Expenditure - Scholarship to Student of Scheduled Castes and Other Categories for studies abroad" - saving of Rs.110.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient reimbursement claims from Ministry of External Affairs.

(III) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Welfare of Handicapped" -

(a) "Expansion and Improvement of National Institute for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopedically Handicapped" - saving of Rs.205.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7285.00 lakhs) was due to non-taking up of some activities by the Institutes.

(b) "Other Schemes" - saving of Rs.698.89 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14271.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-receipt/late receipt of proposals from State Governments/Universities for providing barrier free facilities to students with disabilities.

(B) "Prohibition - Education Work for Prohibition" - saving of Rs.348.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2960.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient recommendations from the State Governments.

(C) "Correctional Services - National Institute of Social Defence" - saving of Rs.205.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.615.00 lakhs) was due to delay in commencement of the Training Programmes owing to non-indication of actual dates by some of the State Governments/ U.T. Administrations.

(घा) “स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” -

(क) “सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 179.82 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता” - 387.14 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने और तीन राज्यों में आंगनवाडी परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - विकलांगों का कल्याण - विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को लागू करने संबंधी स्कीम” - 156.83 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम” - 2170.13 लाख रु. की बचत (2480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 214.55 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 37 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (14460.38 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(D) “Assistance to Voluntary Organisations” -

(a) “Assistance to Voluntary Organisations for Providing Social Defence Services” - saving of Rs.179.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the voluntary organisations.

(b) “Assistance to Voluntary Organisations for Programmes relating to Aged”- saving of Rs.387.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the State Governments and non-approval of Aganwadi Projects in three States.

(IV) Under Major Head “3601” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes - Social Welfare - Welfare of Handicapped - Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act, 1995” - saving of Rs.156.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs); and

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Education - Pre-Matric Scholarship Scheme” - saving of Rs.2170.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2480.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate proposals from the State Governments.

(V) Under three heads savings of Rs.214.55 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 37 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.14460.38 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2225" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - राष्ट्रीय अनधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश जनजाति आयोग" - 152.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 129.73 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जातियों का कल्याण - अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत स्कीमों - उप योजना" - 4143.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4142.99 लाख रु. था।

(ख) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा - मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम" - 6457.90 लाख रु.।

(ii) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा" -

(1) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" - 3457.48 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3457.47 लाख रु. था।

(2) "मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - 250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 249.63 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - द्विपक्षीय करार के अधीन शुल्क मुक्त परेषण की चढ़ाई उतराई एवं निकासी" - 136.00 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "अनुसूचित जातियों का कल्याण - शिक्षा" -

(A) Major Head "2225" - "General - Direction and Administration - National Commission for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes" - Rs.152.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.129.73 lakhs.

(B) Major Head "3601"-

(a) "Grants for Central Plan Schemes - Welfare of Scheduled Castes - Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan - Schemes under Special Central Assistance for Scheduled Castes - Sub-Plan" - Rs.4143.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4142.99 lakhs.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(i) "Welfare of Scheduled Castes - Education - Post-Matric Scholarship Scheme"- Rs.6457.90 lakhs.

(ii) "Welfare of Backward Classes - Education"-

(1) "Post-Matric Scholarship"- Rs.3457.48 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3457.47 lakhs.

(2) "Pre-Matric Scholarship"- Rs.250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.249.63 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2235"- "Social Welfare - Other Programmes - Handling, Clearance of Duty free consignment under the bi-lateral agreements" - excess of Rs.136.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to receipt of more bills.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Welfare of Scheduled Castes - Education"-

- (i) "बाल छात्रावास" - 499.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।
- (ii) "बालिका छात्रावास" - 499.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत निधीयन के स्वरूप में परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ।
- (ख) "पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - बाल तथा बालिका छात्रावास" - 274.25 लाख रु. का अधिक व्यय (1780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।
- (III) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.98 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत था।
- (i) "Boys Hostels" – excess of Rs.499.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2650.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
- (ii) "Girls Hostels" – excess of Rs.499.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2350.00 lakhs) due to change in funding pattern under the scheme.
- (b) "Welfare of Backward Classes – Education – Boys and Girls Hostels" – excess of Rs.274.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1780.00 lakhs) was due to requirement of additional funds from State Governments for constructions of hostels.
- (III) Under one head excess of Rs.58.98 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

3. In the capital section of the grant, saving/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare			
मू.	O.	700.00		
पु.	R.	300.00	1000.00	1000.00
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	400.00		
पु.	R.	-400.00

(I) 400.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 300.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4235" - "समाज कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य प्रणालन अभिकरणों से अधिक आवश्यकताओं के होने के कारण हुआ।

(1) Provision of Rs. 400.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "General - (Capital Outlay on Welfare of SCs, STs and Other Backward Classes) - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Finance and Development Corporation for Weaker Sections"- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4235" - "Social Welfare - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Handicapped Finance and Development Corporation"- excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to more requirements from States Channelising Agencies.